दिनांक 04.04.2018

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

04 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा सात दिवसीय शिविर में

भिलाईनगर/नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सभी निवासियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 05 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सभी 06 जोन के 2–2 वार्ड मिलाकर सात दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आयुक्त के0एल0 चौहान ने सभी अधिकारी, कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि हमारा उद्देश्य होगा हर घर तक पहुंचकर शासन की योजनाओं को बताना पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करना। इसके लिए प्रत्येक जोन से अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर ड्यूटी लगाई गयी है।

प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना जिन हितग्राहियों के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन नहीं है, अन्त्योदय राशन कार्डधारी, अनु0जाति, अनु0जनजाति के सदस्य, ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के मुखिया के पास श्रमिक कार्ड हो वे परिवार आवेदन कर सकतें है। आवश्यक दस्तावेजः– बीपीएल राशन कार्ड, परिवार के दो सदस्यो का आधार कार्ड, महिला मुखिया का बैंक पासबुक, व दो पासपोर्ट कलर फोटो, मोबाईल नम्बर के साथ शिविर में जमा करना होगा।

भिलाई श्रमिक बाहूल्य क्षेत्र होने के कारण आयुक्त के0एल0 चौहान विशेष रुप से श्रमिकों के लिए 6 जगहों पर मजदुर कार्ड बनाने के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा है।
जोन 01 नेहरु नगर में अवंती बाई चौक, जोन 03 फल मण्डी केम्प 01 पावर हाउस, लिंक रोड, जोन 04 अण्डा चौक छावनी, जोन 06 बीआरपी चौक, स्टेशन मरोदा, डूण्डेरा, रुआबांधा मार्केट रिसाली। उपरोक्त स्थल पर विशेष शिविर मजदुर कार्ड बनाने के लिए आयोजित होगा।

मजदुर कार्ड बनाने के साथ पूर्व में पंजीकृत श्रमिक कार्डधारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पंजीयन किया जायेगा। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लगभग 86 हजार श्रमिक कार्डधारी है जिसमें असंगठित मजदुर 71257 संगठित मजदुर 10869 हैं। असंगठित कर्मकारों में से 52721 का आधार नम्बर से लिंक हो गया है इसी प्रकार से संगठित से 7596 का आधार पंजीयन से लिंक हो चुका है। शेष श्रमिक कार्डधारियों का प्रमाण–पत्र आधार से लिंक भी किया जायेगा। मौके पर सत्यापन कर आवेदन लिया जायेगा। 4.50 लाख रुपये का बीमा प्रत्येक कार्डधारी का निःशुल्क किया जायेगा। मजदुर कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजः– आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाईल नम्बर, स्व–घोषणा–पत्र (पार्षद द्वारा प्रमाणित)।

दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी पंजीयन होगा। जिसके माध्यम से उन्हे केन्द्र सरकार द्वारा एक कार्ड दिया जायेगा जो पुरे देश के लिए चलायमान होगा। 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजन को शासन की पेंशन योजना से लेकर अन्य लाभ प्रदान किया जायेगा। आवश्यक दस्जावेजः– आवेदक का कलर फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जीवित, आय प्रमाण–पत्र, दिव्यांग पेंशन नम्बर यदि पेंशन मिलता हो, शैक्षणिक योग्यता, मोबाईल नम्बर, एनपीआर टीन नम्बर उपलब्ध हो तो, प्रस्तुत करना होगा।

मुख्यमंत्री पेंशन योजना सभी वर्ग की पात्र 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, विधवा, तलाकसुदा, परित्यक्ता, निराश्रित, जिनके घर में कोई 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई व्यस्क पुरुष सदस्य न हो, निःशक्त, अनु0जाति, जनजाति, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी मजदुर, एवं अन्य हितग्राहियों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। दस्तावेजः– आवेदक छ0ग0 का मुल निवासी हो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।

जन सम्पर्क विभाग